संख्या-28/2021/659ई-2/तेरह-2021-165/2017

प्रेषक

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उ.प्र. प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 17 मार्च, 2021

विषयः-मेसर्स दि मोनार्क द्वितीय तल ए एवं बी ब्लाक, हैबीटेट सेन्टर, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-97/दो-प्रा.एम.बी.(9)/लघुयवासवनी, दिनांक 08.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स दि मोनार्क द्वितीय तल ए एवं बी ब्लाक, हैबीटेट सेन्टर, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का इकाई द्वारा अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।